

फर्द अहकाम

ल्य

बनाम

ना संख्या / वर्ष

/20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.5.22	<p>कार्यवाही/कार्य दिनांक 18.5.22 को पत्रावली दिनांक 20.7.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू</p>	
20.7.22	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली की 10 संपीठ कम संपीठ पत्रावली धारा 10 संपीठ धारा 151 की छुनी गई बाहे आदेश पत्रावली दिनांक 3.8.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	
3.8.22	<p>पत्रावली पेश हुई पत्रावली की 10 संपीठ कम संपीठ पत्रावली धारा 10 संपीठ धारा 151 की छुनी गई बाहे आदेश पत्रावली दिनांक 3.8.22 को पेश हो।</p> <p>इस कृद पा गौ (मिपा व प्र-पत्र जवाब सर्चना पत्र का अवलोकन मिपा तो - इस कृद को संबंधित प्रकरण नं. 22786/2018 इनकी गोपाल कान्त शर्मा के नाम के राजस्थान राज्य न्यायालय में विचारधीन है इस कृद न्यायालय में विचारधीन रहे इस कृद न्यायालय में विचारधीन उक्त में किसी प्रकार की कार्यवाही मिपा जाना उचित नहीं समझते हैं और - उक्त प्रकरण को राजस्थान राज्य न्यायालय में विचारधीन रहे तक इसे मिपा जाना उचित समझते हैं तबानि पत्रावली के मध्य किसी प्रकार का विकास उपपन्न न हो और-सर्चना पत्रावली 10 संपीठ मिपा जाकर उक्त कृद को स्टे मिपा जाता है उक्त कृद को राजस्थान</p>	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)



क्र. सं.	दिनांक यात्रा या कार्यवाही	यात्रा विस्तृत रूप से
		<p>उच्च न्यायालय में विद्यापीठ न्यायालय के वाद के निर्णय होने पर लेनोपक्ष इक्त वाद को उन चर्चने हेतु खिंचा है। पेशवाजी वाद तत्काल दायित्व दफ्तार होना नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: right;"> रुना उपखण्ड अधिकारी, चाकरू (जयपुर) </p>